राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

कमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट   जयपुर, दिनांक : 24 JAN 2022

आदेश

विषयः **Rajasthan Government Health Scheme (RGHS)** के अन्तर्गत पेंशनर एवं दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों हेतु आउट डोर चिकित्सा एवं उपचार के संबंध में।

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के पैरा 5 में उल्लेखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16–11–2021, 18–11–2021, 14–12–2021 एवं 13–01–2022 द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये औषधियों हेतु वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी को अधिकृत किया गया था। शिथिलन की यह अवधि वर्तमान में दिनांक 28–2–2022 तक प्रभावी है।

इसी कम में आउड डोर चिकित्सा एवं उपचार हेतु औषधियों की वित्तीय सीमा रुपये 20,000/– प्रतिवर्ष से अधिक बढ़ाये जाने हेतु आर.जी.एच.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिसके लिये औषधियों की वित्तीय सीमा बढ़ाने हेतु ऑनलाइन अतिरिक्त राशि वृद्धि हेतु सक्षम स्तर निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं :

क. सं.	सक्षम स्तर	अतिरिक्त राशि वृद्धि
1	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर	सामान्य मामलों में रु. 20,001/– से रु. 1.00 लाख तक विशिष्ट बीमारियों में रु. 20,001/– से रु. 2.00 लाख तक।
3	प्रशासनिक विभाग – वित्त (बीमा) विभाग	सामान्य मामलों में रु. 1.00 लाख अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक विशिष्ट बीमारियों में रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक।
4	वित्त (बजट) विभाग	सामान्य मामलों में रु. 2.00 लाख अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक विशिष्ट बीमारियों में रु. रुपये 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक।

यह आदेश दिनांक 1–1–2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर भी लागू होंगे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :
1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :
1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

24/1/22
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 05 / 2022)